न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 721 सन्– 2026

UPAD010065642026

गीता देवी पत्नी राजकुमार हरिजन, निवासिनी– ग्राम मुलनापुर, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज।

----------प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रबहादुर यादव पुत्र शिवमोहन यादव
2. ज्ञानी यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव
3. सन्तोष कुमार यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव
4. अच्छे यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव
5. अविनाश यादव पुत्र फुले यादव

निवासीगण– ग्राम मुलनापुर, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज।

--------विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–उतरांव, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थिनी गीता देवी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(1) एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में रूपांतरित किया गया है जो कि विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की विधवा महिला है तथा उसके मकान से सँटी हुई आबादी की जमीन है जिसमें वह पूर्वजों के जमाने से टीन शेड डालकर उठन–बैठन, निस्तार–विस्तार, नाद–खूंटा, हौदा रखकर आबाद है। विपक्षीगण दिनांक 04.04.2026 को एकराय होकर उसके घर पर चढ़कर गाली–गलौज करते हुए उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से चूना डालकर नाप–जोख करने लगे, छप्पर व मड़हे को क्षतिग्रस्त कर दिया, घर के अन्दर रखे बर्तन तथा अन्य कीमती सामान को तोड़–फोड़ कर नष्ट कर दिया उसने विरोध किया तो विपक्षीगण ने जातिसूचक शब्दों की गाली देते हुए कहा कि चमाइन साली बहुत बोलती है, इतने में उसका बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर मारने–पीटने लगे, उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी आरती बचाने दौड़ी तो विपक्षीगण ने आरती के साथ बद्तमीजी किया और मारा–पीटा तब उसने 112 नंबर डायल किया, पुलिस को आता देखकर विपक्षीगण ने धमकी देते हुए कहा कि इन मां–बेटी की इज्जत लूट कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दो देखते हैं कौन बचाने आता है। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष उतरांव व क्षेत्राधिकारी हंडिया को प्रार्थनापत्र दिया, दिनांक 15.04.2026 को श्रीमान् पुलिस आयुक्त, प्रयागराज से स्वयं मिलकर तथा दिनांक 24.04.2026 को जरिये डाक प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थिनी ने दिनांक 24.04.2026 को माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र., उ.प्र. महिला आयोग, उ.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति आयोग, ए.सी.पी. हंडिया को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थानाध्यक्ष उतरांव को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.02.2026 की

छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.04.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति की सदस्या होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा दिनांक 04.04.2026 को उसके घर पर चढ़कर गाली–गलौज करते हुए उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से चूना डालकर नाप–जोख करने, छप्पर व मड़हे को क्षतिग्रस्त करने, घर के अन्दर रखे बर्तन व अन्य कीमती सामानों को तोड़–फोड़ कर नष्ट करने, विरोध करने पर उसे जातिसूचक शब्द चमाइन कहकर अपमानित करने, उसका बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर मारने–पीटने, उसकी चीख–पुकार सुनकर उसकी बेटी आरती बचाने दौड़ी तो उसकी बेटी के साथ बद्तमीजी करने व मारने–पीटने तथा इज्जत लूटने व पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रार्थिनी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 12.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थिनी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 12, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.12 16:49:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court